हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/9/22 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/10/22 को पेश हो। [signature]	
12-10-22 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस T.I. प्रा० पत्र पत्रावली दि० 28-10-22 को पेश हो। T.I. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है। [signature]	
28-10-2022 वकील उभयपक्ष उप०। वकील अप्रार्थी बहस को समय चाहते हैं। वास्ते बहस पत्रावली दि० 9-11-2022 को पेश हो। T.I. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है। [signature]	
9-11-2022 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस T.I. पत्रावली दि० 17-11-2022 को पेश हो। [signature]	
17-11-2022 वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 15-12-2022 को पेश हो। [signature]	
15-12-22 वकील उभयपक्ष उप० है। सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर भूमि ख.नं. 2471 रकबा 2.71 है० व ख.नं. 2472 रकबा 3.76 है० ग्राम गंडेड़कला के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने व किसी विशेष भूमिका रहन बय नहीं क[illegible] और सायलान के मूलवाद के निर्णय तक पाबंद [illegible] प्रथक से लिखाया जाकर पत्रावली में शामिल [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] मूल वाद के साथ संलगन रहे। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
60/2019	8.8.2019	15.12.2022

1. यशवेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल, जाटव नि0 अम्बेडकर नगर, गंगापुर सिटी
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल, जाटव नि0 अम्बेडकर नगर, गंगापुर सिटी

—सायलान

बनाम

1. जयबाई पत्नी श्रीयालाल, बैरवा निवासी उदेईकलां (मृतक)

1/1.केदार पुत्र श्रीयालाल, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/2.समयसिंह पुत्र श्रीयालाल, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/3.मदन पुत्र श्रीयालाल, बैरवा नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी(लापता)

2. चन्द्र बाई पत्नी ओमप्रकाश, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. संतरा देवी पत्नी मूलचन्द, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. उप पंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, एडवोकेट सायल की ओर से
श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट, गैरसायल नं0 2 की ओर से

निर्णय

सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 2471 रकबा 2.71 है0, ख0नं0 2472 रकबा 3.78 है0 कुल रकबा 6.49 है0 ग्राम उदेईकलां अ में है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व 2 का कुल रकबे में 1/5 हिस्सा नीहित चला आ रहा था जो मूल खातेदार जयकिशन, गोद्या, हटीला, नारायण व रामफूल का अविभाजित हिस्सा चला आ रहा था। जिसमें से प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मूल खातेदार जयकिशन के वारिसान से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। ख0नं0 2471 रकबा 2.71 है0 व ख0नं0 2472 रकबा 2.78 है0 के मूल खातेदार जयकिशन, गोद्या, हटीला, नारायण व रामफूल द्वारा अपने जीवनकाल तक मौके पर कोई विभाजन नहीं किया था तथा शामलाती ही काश्त करते चले आ रहे थे। [illegible] अनुसार दो ही नम्बर कायम किए थे। दोनों का रकबा [illegible] कायम किया था। अप्रार्थीया संख्या 1 को भी मूल [illegible] मूलचंद द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ख0नं0 24[illegible] बेचान कर कब्जा दिया गया एवं कहा कि [illegible] खसरा नम्बरों में से विभाजन करा लें। अप्रार्थीया संख्या 3 द्वारा भूमि के मूल खातेदार हटीला, नारायण व रामफूल पुत्रगण रामल्या से जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र ख0नं0 2471

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:11 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ला कलेक्टर
[illegible]सिटी (स0मा0)

व 2472 में से 3/5 हिस्सा क्रय किया था। उक्त विक्रयपत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कब्जा मुख्य सडक पर दिया गया है न ही ख0नं0 2472 मुख्य सडक पर स्थित है। अप्रार्थीगण जानबूझकर सडक से लगती हुई जमीन पर कब्जा करना चाहती हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से दिनांक 28.6.2010 को भूमि के विभाजन बाबत् कहा तो उन्होने कहा भूमि का पूर्व से ही मौखिक विभाजन हो रहा है, हमें कोई आपत्ती नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पूर्व में प्रस्तुत वादपत्र के दौरान अप्रार्थीया संख्या 2 चन्द्र बाई द्वारा भूमि ख0नं0 2472 रकबा 3.78 है0 ग्राम उदेईकलां अ में अपने 3/5 हिस्से में से 1/5 हिस्सा अप्रार्थीया संख्या 3 संतना देवी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बदयांतिपूर्वक विक्रय कर दिया इसलिए संतरा देवी को बतौर अप्रार्थी संख्या 3 पक्षकार बनाकर यह संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। संयुक्त चल रही आराजियात का विधि अनुसार जब तक खातेदारों के मध्य युक्तियुक्त विभाजन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी खातेदार स्पेसीफिक पीस आफ लैण्ड का बेचान नहीं कर सकता। चूंकि अप्रार्थीया संख्या 2 चन्द्रबाई द्वारा दौराने दावा व स्टे अपनी जमीन में से 1/5 हिस्सा अप्रार्थीया संख्या 3 को, प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर बदयांतिपूर्वक विक्रय किया गया है जिस कारण उक्त तथाकथित विक्रय पत्र को नल एण्ड वोइड घोषित कराने हेतु संशोधित वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ, किन्तु मूल वादपत्र के निस्तारण में काफी समय लगेगा और दावे के विचाराधीन रहते बिना युक्तियुक्त विभाजन के अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर अपनी मनमर्जी अनुसार स्पेसीफिक पीस आफ लैण्ड पर कब्जा कर लिया, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के यहां विक्रय बाबत् विक्रयाभिलेख का पंजीकरण करा दिया तथा प्रार्थीगण को वहां से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में कराया जाना कदापि संभव नहीं होगा। चूंकि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 सब रजिस्ट्रार तहसीलदार गंगापुर सिटी अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए इस हेतु बाध्य है कि अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा उसके समक्ष विवादित आराजियात के सन्दर्भ में यदि किसी प्रकार का विक्रय विलेख या हस्तान्तरण विलेख पंजीकरण हेतु [illegible] जावेगा तो वह उसका पंजीकरण हेतु विधि द्वारा बाध्य है इसलिए मूल वाद निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 4 व 4 को भी जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे अप्रार्थीया संख्या 1 ता 3 या उनमें से किसी एक के द्वारा भी दावे के निर्णय से पूर्व यदि विवादित आराजियात के सन्दर्भ में किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण विलेख, विक्रय विलेख या अन्य किसी प्रकार का विलेख आदि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:11 IST
Reason: Self Attested

पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया जावे तो उसका पंजीकरण न करें तथा विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाए रखें। गैरसायल संख्या 2 के द्वारा रोड का तथाकथित रूप से हिस्सा अन्य को बेचने की सायलान को दि0 15.7.19 को धमकी दी गई है जिस कारण प्रा0 पत्र टी0आई0 प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीया संख्या 1 ता 3 को मूल वादपत्र के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि उपरोक्त खसरा नम्बरान के उत्तरी पूर्वी हिस्से की भूमि में से किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं पैदा करें और न ही किसी अन्य से करावें। प्रार्थीगण को भूमि व फसल का शांतिपूर्वक रूप से उपयोग उपभोग करने दें, अप्रार्थी संख्या 5 को पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण के अपने हिस्से की उत्तरी पूर्वी भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज, रहन या व्यय का इन्द्राज न करें और न ही उसे रजिस्टर्ड करें, अन्य प्रतिकार जो न्यायोचित हों, प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से दिलाए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया। गैरसायल संख्या 2 के अलावा अन्य गैरसायलान बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः गैरसायल संख्या 2 के अलावा अन्य गैरसायलान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

गैरसायल संख्या 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि यशवेन्द्र कुमार व नरेन्द्र कुमार ने जरिए रजिस्ट्री जो भूमि खरीदी थी वह चन्द्रबाई के 6 वर्ष बाद ली थी जो मैन रोड से दो खेत पीछे थे जिसका ख0नं0 2431 है। यशवेन्द्र व नरेन्द्र ने अच्छी तरह से भूमि को देखभाल करके विक्रय पत्र तस्दीक करवाया था। आगे की तरफ मुख्य रोड पर चन्द्रबाई पत्नी ओमप्रकाश काबिज थी तथा पीछे की तरफ जयबाई काबिज थी। जयबाई से पीछे की तरफ की भूमि यशवेन्द्र व नरेन्द्र कुमार ने खरीदी थी तथा वे वहीं पर काबिज हैं। मूल खातेदार जयकिशन, हटी[illegible] व रामफूल ने बहुत पहले ही अपने जीवन में कथित भूमि को मौ[illegible]प[illegible] विभाजित कर बांट रखा था। पांचो भाई अलग अलग रहते थे। जिस भी [illegible]र की जरूरत पडी वह भूमि को अपने कब्जे अनुसार बे[illegible] संभाला गया। खातेदारों द्वारा संभलाए गए कब्जे अनुसार ही चन्द्रबाई प[illegible] ओमप्रकाश उक्त भूमि में अपने 3/5 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है। मूल खातेदारों ने पूर्व में ही भूमि का मौखिक बंटवारा कर रख था तथा उसी अनुसार सभी खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:11 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गापुर सिटी (स0मा0)

अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा जयबाई पत्नी श्रीयालाल ने भी जमीन चन्द्रबाई के द्वारा क्रय करने के 2 वष बाद क्रय की थी। सन्तरा देवी पत्नी मूलचन्द को चन्द्रबाई ने केवल 3 बीघा जमीन ही बेची है। सन्तरा देवी को हटीला, नारायण व रामफूल ने जमीन नहीं बेची। हटीला, नारायण, रामफूल पुत्र रामल्या से भूमि खरीदने वाले तथ्य गलत हैं। हटीला, नारायण व रामफूल तीनों खातेदारों के हिस्से की जमीन को तो चन्द्रबाई ने खरीदा था। ये तीनों ही खातेदार मुख्य सडक पर काबिज थे। चन्द्रबाई सन् 2004 से आज तक मुख्य सडक की भूमि पर ही काबिज है। दिनांक 28.6.2010 को यशवेन्द्र व नरेन्द्र कुमार ने चन्द्रबाई से कोई भी विभाजन करने वाली बात नहीं कही बल्कि चोरी छिपे, गलत नियत से यह झूंठा मुकदमा किया गया है। इनके मन में मुख्य सडक की भूमि बाबत् 6 वर्ष बाद बेईमानी आई है। चन्द्रबाई ने सन्तरा देवी को विधिक रूप से सद्भावनापूर्वक स्वयं के हिस्से में से सही रजिस्ट्री करवाई है और जहां चन्द्रबाई काबिज थी उसी भूमि में से सन्तरा देवी का 3 बीघा भूमि का कब्जा संभलाया था। सम्पूर्ण भूमि में चन्द्रबाई का 3/5 हिस्सा रिकार्डेड दर्ज है। चन्द्रबाई द्वारा दौराने दावा विक्रय पत्र भूमि बाबत् किएहैं वे सद्भाविक हैं तथा किसी भी आदेश से बाधित नहीं है तथा किसी भी पक्ष को नुकसान पहुंचाने की गरज से नहीं किए गए हैं। चन्द्रबाई जहां काबिज है उसी भूमि में से उसने कुछ भाग का विक्रय किया है एवं खरीददार सन्तरा देवी को कब्जा संभलाया है। तहसीलदार द्वारा जहां तक विक्रय विलेख पजीबद्ध करने का प्रश्न है तो यदि किसी अदालत का स्टे नहीं है तो वह भूमि के विक्रय विलेख को तस्दीक करने से नहीं रोक सकता है। कथित भूमि पर व मौके पर जहां जो पक्षकार काबिज है उन्हें कोई भी व्यक्ति मौके से बेदखल नहीं कर रहा है। यशवेन्द्र ने अकारण परेशान करने की गरज से यह द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत रूप से पेश किया है। प्रथम प्रार्थना पत्र में अदालत हाजा ने जो आदेश दिया था उसकी अपील आर0ए0ए0कोर्ट में पेश की गई, वहां से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्टे कर दिया गया, अब इस समय प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। अदालत दो दो बार स्टे आदेश जारी नहीं कर सकती है। अतः [illegible]त कर निवेदन है कि उपरोक्त समस्त वर्णित तथ्यों पर मनन करते हुए अदालत से प्रार्थना है कि वह मौके पर स्वयं देखे कि चन्द्रबाई कहां काबिज है तथा यशवेन्द्र व नरेन्द्र कुमार किस जगह पर काबिज है तथा अन्य [illegible]गह पर काबिज है। मौके पर कब्जे की स्थिति देखने से स्थिति स्पष्ट हो जावेगी और न्याय करने में सुविधा होगी। भूमि के पडौसियों से भी इस मामले में पूछताछ करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:11 IST
Reason: Self-Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण एवं झूंठे तथ्यों पर होने से अस्वीकार है तथा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायलान ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 347, 545, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में गैरसायल संख्या 2 ने फोटोकोपी नकल आदेशिका दिनांक 31.1.18 राजस्व मण्डल अजमेर, फोटोकोपी नकल निर्णय दिनांक 17.1.2018 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायलान के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि सायलान ने वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार जयकिशन के वारिसान से भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। भूमि का अभी तक विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण अपनी मनमर्जी से रोड की भूमि को बेचने पर ऊतारू है जबकि सायलान का वादग्रस्त भूमि मे बतौर सहखातेदार कब्जा काश्त है। अतः सायलान का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

गैरसायल नम्बर 2 के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि गैरसायला ने सायलान से छः वर्ष पूर्व जरिए रजिस्टर्ड भूमि क्रय की है एवं गैरसायला की खरीद की हुई भूमि मैन रोड पर है। सायलान की भूमि पीछे की तरफ है परन्तु अब सायलान के मन मे बदयांति आने के कारण वे यह मुकदमा लेकर आये है और गैरसायलान को अकारण ही परेशान कर रहे है। उन्होने गलत तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम उदेईकलॉ खाता संख्या 347 के अनुसार भूमि ख0न0 2471 एवं खाता संख्या 545 के अनुसार भूमि ख0न 2472 सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हैं। जिसमे सायलान का 1/5 हिस्सा है। भूमि अभी [illegible] है। ऐसी स्थिति मे गैरसायलान को वादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से [illegible] को बेचने का अधिकार नही है। फलस्वरूप हम इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.8.19 को जारी अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कायम करना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:31:21 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

यशवेन्द्र कुमार वगैरा बनाम जयबाई वगैरा, प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

(6)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है तद्नुसार गैरसायलान भूमि ख0न0 2471 रकबा 2.71 है0 व ख0न0 2472 रकबा 3.78 है0 ग्राम उदेईकलॉ की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे व हिस्सा विशेष भूमि को रहन वय नही करें। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो, मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:11 IST
Reason: SelfAttested